:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– महावीर प्रसाद जैन आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 12/26

1. श्री जीवणराम पिता मसुरा भगोरा निवासी सेण्डोला तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भूमिधारी तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

:: निर्णय :: दिनांक 05/05/2026

प्रकरण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गॉव सेण्डोला पटवार हल्का सेण्डोला तहसील चिखली का स्थायी निवासी है। प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार अपने संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि पर कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है।

यह कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदार के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम सेण्डोला पटवार हल्का सेण्डोला के खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 1, 3, 5 व 7 कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.0692 है0 होकर स्थित है।

यह कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जीवणराम भगोरा होने के बावजूद उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जीवा पिता मसुरा गलत रूप से अंकित कर दिा गया है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम जीवणराम पिता मसुरा भगोरा है।

यह प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जीवा पिता मसुरा गलत चल रहा है जबकि उसे सुधार किया जाकर जीवणराम पिता मसुरा दर्ज किया जाना आवश्यक है।

यह कि राजस्व रिकॉर्ड में सुधार नहीं किये जाने पर प्रार्थी को अकारण ही परेशानी हो रही है।

यह कि जरिये इन्द्राज दुरस्ती राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 1, 3, 5, 7 कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.0692 है0 में दर्ज नाम जीवा पुत्र मसुरा को हटाया जाकर वास्तविक नाम जीवणराम पुत्र मसुरा दर्ज किया जाने आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट मंगवाई गई। दिनांक 28.04.2026 को को तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी जीवणराम पुत्र मसुरा मौजा सेण्डोला के खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 1, 3, 5, 7 कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.0692 है0 में खातेदार जीवा पुत्र मसुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जीवणराम पुत्र मसुरा पारगी के राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड में जीवा पुत्र मसुरा नहीं होकर जीवणराम पुत्र मसुरा नाम दस्तावेज में दर्ज है। दिनांक 05.05.2026 को प्रार्थी के सहखातेदार श्री लछ्छु (भाई) के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि –

–:आदेशः–

ग्राम सेण्डोला में खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 1, 3, 5, 7 कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.0692 है0 में इन्द्राज दुरस्ती कर जीवा पुत्र मसुरा के स्थान पर जीवा उर्फ जीवणराम पुत्र मसुरा दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली